प्रेस नोट 08/09/2020

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.20 को मुख्तार असांरी अवैध वसूली गैंग के सहयोगी, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ का अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 68 लाख रूपये कीमती 02 ट्रकों को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

<u>संम्पत्ति विवरण–</u>

1. ट्रक यूपी 54 टी 8109 (34 लाख)।
2. ट्रक यूपी 54 एटी 1231 (34 लाख)।

साथ ही साथ दिनांक 01–09–20 को उक्त सुरेश सिंह की अवैध रूप से अर्जित धन से बनायी गयी सम्पत्ति 86 लाख रूपया (कुल 04 बसें), दिनांक 03/09/20 को 01 करोड़ 05 लाख 40 हजार रुपए कीमती 09 वाहनों व दिनांक 07/09/20 को 01 करोड़ 69 लाख 65 हजार रुपये कीमती 10 वाहनों को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त की गयी।

इस तरह अब तक कुल 04 करोड़ 28 लाख 95 हजार रुपये कीमती कुल 25 विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह वसूली गैंग डी–34 का सदस्य है तथा जनपद में वसूली माफिया के रूप में चिन्हित है। जिसके विरूद्ध थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.20 को मु0अ0सं0 520/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।

<u>थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत हुयी चोरी का 24 घण्टे में हुआ अनावरण, चोरी का आटो एवं तमंचा व कारतूस बरामद, एक शातिर गिरफ्तार–</u>

अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 07.09.20 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर, दोहरीघाट पुलिस पिकेट रोड के पास से समय लगभग रात्रि 10:30 बजे अभियुक्त मोनू साहनी पुत्र रामानंद साहनी निवासी लखनऊरी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित ऑटो तथा एक अदद देसी तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 405/20 धारा 41/411 आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि वादी संजय वर्मा पुत्र राम नारायण वर्मा निवासी कुसुमहा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा ऑटो रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 54 क–2918 जो उनके दरवाजे पर खड़ा था रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 403/20 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–</u>

1. मोनू साहनी पुत्र रामानंद साहनी निवासी लखनऊरी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी–

1. चोरी का आटो वाहन (यूपी 54 क–2918)।
2. एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 315 बोर।

उक्त गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 05 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

02 जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर क्रमशः उनके घर से अरुण कुमार राय पुत्र स्व0 शम्भूनाथ राय निवासी रामपुर धनौली थाना दोहरीघाट व अशीष तिवारी उर्फ मखंचू पुत्र फूलचंद निवासी गोठा थाना दोहरीघाट को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 406,407/20 धारा 10 गुण्डा अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक दुराचारी सहित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.09.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकिया बाजार के पास से मु0अ0सं0 318/20 धारा 376,354,352,504,506 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त अरविंद चौहान पुत्र मुखनाथ निवासी मंडूसरा खुर्द थाना रानीपुर मऊ व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 482/20 धारा 147,148,149,323,506 भादवि में वांछित अभियुक्त किशन पुत्र मुन्ना निवासी मुसरदह थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.09.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अकबरपुर मोड़ के पास से सुन्दर राम पुत्र नाथा राम निवासी अकबरपुर काझा थाना रानीपुर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 324/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 34 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 08.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना घोसी पुलिस द्वारा श्रवण, रामनगीना निवासी खैरा मोहम्मदपुर, बगेदू, शैलेश यादव निवासी बड़गांव, गुड्डी देवी, रामभुवन, सुचेता निवासीगण खानपुर, सतीश चौहान, पप्पू निवासी रामपुर टड़वा थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा श्रवण निवासी बस्ती, शिवकुमार निवासी चकरा, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आशीष, रामध्यान साहनी, रामप्रवेश साहनी निवासी फतेहपुर ताल नरजा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रमाकांत निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा भूपेन्द्र, सोनू, उमाशंकर, जितेन्द्र निवासीगण धरमपुर विशुनपुर, हरिश्चंद निवासी सीरीकोठा, संदीप निवासी जमीन मन्हौली थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सत्यप्रकाश, कमलेश पाल निवासी चिस्ती पट्टी थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा नरेन्द्र, अशोक, अमनदीप, सकवंती निवासी पलिया, हरिकिशुन, बीना सिंह, शिवमुनि सिंह, देवमती, दीपक व गुजन निवासी नेवादा थाना रानीपुर व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र कुमार निवासी चोरपा खुर्द थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।